न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
बी.पी.न0–81 / 2026
सारण साईबर थाना कांड सं0–429 / 2025

अमीत कुमार बनाम् बिहार राज्य

18.03.2026 आवेदक अभियुक्त अमीत कुमार जो दिनांक–22.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या I–81/2026, सारण साईबर थाना कांड संख्या 429/2025, अंतर्गत धारा 303(2),318(4),319(2) के भा0न्या0सं0 एवं 66(c),66(d) आई0टी0 एक्ट में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनाथ यादव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले की प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि घटनातिथि को सूचक की मां अपने नजदीकी सी0एस0सी0 आधार सेंटर पर अपने अधार कार्ड में मोबाइल नंबज जोड़ने के लिए गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद सूचक की मां दिनांक 10.10.2025 को जब अपने खाता से पैसे निकालने गई तो वहां पता चला कि उनके उपरोक्त बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। आगे छानबिन करने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके फिंगर का क्लोन बनाकर चार बार में कुल 23516 रूपए की राशि निकाल ली है। फिर सूचक साबईल क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। सूचक भेल्दी गांव का निवासी है और आवेदक सीतामढ़ी का छात्र है, उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक न तो सीएसपी धारक है और न ही सीएससी धारक है और दोनों क बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही सूचक की मां ने ओटीपी दी है। आवेदक जैव प्रौद्योगिकी का छात्र नहीं है और न ही डिग्री धारक है। आवेदक कला का छात्र है और उसने कला विषयों की परीक्षा उतीर्ण की है। आवेदक के विरूद्ध धारा 66(c),66(d) आई0टी0 एक्ट नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 22.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सारण साईबर थाना कांड संख्या 429/2025, अंतर्गत धारा 303(2),318(4),319(2) के भा0न्या0सं0 एवं 66(c),66(d) आई0टी0 एक्ट में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–20 में आवेदक के

आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 22.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक द्वारा कारित अपराध प्रकृति तथा न्यायिक अभिरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त अमीत कुमार को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 480(3) एवं 486 में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का रक्त संबंधी होगा, **आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को विचारण के क्रम में न्यायालय में बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर सदेह उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूरा सहयोग करेगा,** के शर्तों के साथ नियमित जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।